सर्वोच्च प्राथमिकता

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव।

अर्द्धशा0पत्र सं0–459/43–2–2014
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2014

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है। अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित 16 श्रेणियों की सूचनाओं को स्वप्रेरणा से प्रत्येक लोक प्राधिकरण को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना विधिक बाध्यता है। स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं का उद्देश्य जन सामान्य हेतु अधिक से अधिक सूचनाओं को उपलब्ध कराना तथा नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्रों की संख्या को कम करना है।

2– इसी कम में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइटों में अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत अपलोड की गई सूचनाओं का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में कई पत्र भी प्रेषित किये गये हैं तथा बैठकें भी आयोजित की गई। वेबसाइटों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विभागों द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचनाओं को अपलोड किये जाने में विशेष रूचि नहीं दिखाई गई जिसके कारण विभागीय वेबसाइट अपडेट नहीं है तथा अपलोड की गई सूचनायें भी पूर्ण नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत सूचनाओं का विवरण भी ठीक से नहीं दर्शाया गया है।

3– मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के कार्यान्वयन हेतु पी0आई0एल0 दाखिल की गई है जिसमें मा0 न्यायालय से धारा–4(1)(बी) के प्राविधानों को कड़ाई से लागू किये जाने का अनुतोष मांगा गया है। सचिवालय स्तर पर स्थित समस्त विभाग भी लोक प्राधिकरण की श्रेणी में आते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी विभागीय वेबसाइट का अवलोकन/निरीक्षण करते हुये अपनी तथा अपने अधीन लोक प्राधिकरणों की अद्यावधिक सूचनाओं को वेबसाइट में सूचना का अधिकार शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करायें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप में प्रशासनिक सुधार विभाग को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि मा0 न्यायालय के आदेशों का समय से अनुपालन किया जा सके।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (श्री नाम से)
उत्तर प्रदेश शासन।

शासनादेश संख्या– 459 दिनांक 25 मार्च, 2014 का संलग्नक

विभाग का नाम–––––––––––––––––––––––––––––––––

क्रम संख्या	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरण का नाम	अधिनियम की धारा–4 (1) (बी) के अन्तर्गत तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या तथा तिथि	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5